

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07022023-243513
SG-DL-E-07022023-243513असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 479
No. 49]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2023/MAGHA 17, 1944	[N. C. T. D. No. 479

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

फा. सं. 18(6)/2013/डीआईएसएमएच/होमियो/आरआर/1383.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 सितम्बर, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं० 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 13 जून, 2012 की अधिसूचना सं. 2/206/2002/डीआईएसएमएच/होमियो/2405 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के उपरान्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होमियोपैथी शिक्षण संवर्ग) की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:

- (1) इन नियमों को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होमियोपैथी शिक्षण संवर्ग) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

- (क) "आयोग" से अभिप्राय संघ लोक सेवा आयोग से है।
- (ख) "नियंत्रण प्राधिकरण" से अभिप्राय प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से है।
- (ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्राय सेवा के समूह "क" पदों की पदोन्नति या स्थाईकरण के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची IV में उल्लिखित समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति से है।
- (घ) "ड्यूटी पद" से अभिप्राय अनुसूची II में उल्लिखित कोई भी स्थाई या अस्थायी पद से है।
- (ङ) "सरकार" से अभिप्राय भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति एवं अनुच्छेद 239 "कक" के अन्तर्गत यथा पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है।
- (च) "ग्रेड" से अभिप्राय अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी ग्रेड से है।
- (छ) "अनुसूची" से अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।
- (ज) "सेवा" से अभिप्राय दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) से है।
- (झ) "सहबद्ध चिकित्सा विषय" का अभिप्राय एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के साथ पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकॉलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गाइनीकॉलोजी तथा कम्यूनिटी मेडिसिन से है।
- (ञ) "होम्योपैथिक विषय" का अभिप्राय आर्गन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मसी, होम्योपैथिक मैटीरिया मेडिका और रेपरटरी से है।

3. सेवा का गठन :

- (1) एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसे दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) (समूह क) के नाम से जाना जाएगा और इसमें इस नियमावली के नियम 7 और 8 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।
- (2) सेवा में शामिल सभी पद समूह "क" के पद होंगे।

4. सेवा की संरचना :

सेवा में शामिल सभी कार्य पदों को सामान्य केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और ग्रेड, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, प्रैक्टिसबंदी भत्ता और उससे संबंधित अन्य मामले अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. सेवा की अधिकृत संख्या :

- (क) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख की सेवा के विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की अधिकृत संख्या अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट होगी।
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की अधिकृत स्थाई संख्या सरकार द्वारा यथानिर्धारित समय-समय पर भिन्न - भिन्न होगी।
- (ग) सरकार समय-समय पर जैसा आवश्यक समझे विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की संख्या में अस्थायी बढ़ोतरी या कटौती कर सकती है।
- (घ) सरकार आयोग के परामर्श से अनुसूची II में शामिल पदों के अलावा उक्त अनुसूची में सेवा के किसी अन्य पद को शामिल कर सकती है और निकाल सकती है।
- (ङ) सरकार आयोग के परामर्श से उपनियम (घ) के तहत सेवा में शामिल पद के किसी अधिकारी को जैसा उपयुक्त समझे, अस्थायी या स्थाई हैसियत के उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त कर सकती है और समरूप ग्रेड में उसकी नियमित सेवा को ध्यान में रखकर उसका वरिष्ठताक्रम तय कर सकती है।

(च) प्रत्येक उप संवर्ग (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पदों के अतिरिक्त) के कुल पदों के 10 प्रतिशत पदों को प्रशिक्षण/अवकाश/प्रतिनियुक्ति आरक्षित के रूप में सेवा में शामिल किया जाएगा।

6. सेवा के सदस्य :

- (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्
 - (क) नियम 5 के उपनियम (ड) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति
 - (ख) नियम 7 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।
 - (ग) नियम 8 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति और
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची II में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।
- (3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तिथि से अनुसूची II में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य मान लिया जाएगा।

7. सेवा का आरंभिक गठन

- (1) होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग की दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं के तहत नियुक्त सभी अधिकारी इन नियमों के आरंभ होने के समय और इससे पहले इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त माने जाएंगे और वे अपने-अपने ग्रेड में सेवा के सदस्य होंगे।
- (2) इन नियमों के आरम्भ होने के पहले उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा की पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा स्थायीकरण और पेंशन के लिए महत्व दिया जाएगा।

8. सेवा का भावी अनुरक्षण

1. अनुसूची II में उल्लिखित किसी भी ग्रेड में रिक्तियों को इन नियमों में दिए गए तरीके से भरा जाएगा।
2. शिक्षण संवर्ग में प्रवेश सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (होम्योपैथिक विषय) तथा सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/-रूपये) में होगा। सम्बद्धपदों पर भर्ती की पद्धति, पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र नीचे वाले तात्कालिक ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा सहित या उच्च ग्रेड में पदों की पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र अनुसूची III में यथाविनिर्दिष्ट होगा।
3. (क) विभागीय पदोन्नतियां संवर्ग के अधिकारियों के लिए ही होंगी।
(ख) उच्च पदों पर विभागीय पदोन्नतियां अनुसूची IV के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर नीचे वाले तात्कालिक ग्रेड में सेवा के अधिकारियों में से चयन आधार पर की जाएगी।
4. यदि सेवा के किसी ग्रेड पर नियुक्त अधिकारी के नाम पर उच्चतर ग्रेड हेतु पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा। बशर्ते कि आवश्यक अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से कम न हो या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो और उन्होंने अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ सदस्यों के साथ जिन्होंने पहले ही अर्हता/पात्रता सेवा अगले उच्चतर ग्रेड पर पदोन्नति हेतु पूरी कर ली हो।
5. (क) प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति आयोग के परामर्श से अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन आधार पर की जाएगी।
(ख) सेवा में सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय और होम्योपैथी विषय) के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता, अनुभव तथा आयु सीमा अनुसूची V में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

टीप-सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय और होम्योपैथी विषय) के पद के पदधारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण अथवा लम्बी बिमारी या अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए उत्पन्न हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सांविधिक या स्वायत्त संगठन/सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत समरूप पदधारी तथा

अनुसूची V में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकती हैं।

9. शैक्षणिक पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरना (अल्पकालिक संविदा सहित) (आईएसटीसी):

- (1) नियम 8 में कुछ भी रहते हुए जहां प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय और होम्योपैथी विषय) तथा सह प्रोफेसर/रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय और होम्योपैथी विषय) के पद पदोन्नति द्वारा नहीं भरे गये हैं और सरकार का अभिमत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आयोग के परामर्श से प्रोफेसर ((सहबद्ध चिकित्सा विषय और होम्योपैथी विषय) तथा सह प्रोफेसर/रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय और होम्योपैथी विषय) के स्तर पर अपेक्षित पद केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सांविधिक या स्वायत्त संगठन/सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थानों के अधीन नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों से भरे जा सकते हैं।
- (2) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जो कि विशेष परिस्थितियों में जैसा सरकार उपयुक्त समझे पांच वर्ष तक बढ़ा सकती है।
- (3) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर ड्यूटी पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों को अन्य के साथ इन नियमों की अनुसूची VI के पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताओं को पूरा करना होगा।

10. वरिष्ठता :

- (क) नियम 6(1) के अन्तर्गत सेवा के आरम्भिक गठन के समय, ग्रेड में अपने उप संवर्ग में नियुक्ति सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता, इन नियमों के आरम्भ की तिथि से होगी।
बशर्ते कि यदि किसी सदस्य की वरिष्ठता उक्त तिथि को तय नहीं की गई थी तो इन नियमों से पहले वरिष्ठता निर्धारित करने वाले नियमों के आधार पर उसकी वरिष्ठता तय की जाएगी अथवा जैसी भी स्थिति हो आयोग के परामर्श से तय की जाएगी।
- (ख) नियम 6(1) के अन्तर्गत अधिकारियों के अलावा दूसरे पदों पर नियुक्ति अधिकारियों की वरिष्ठता इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार तय की जाएगी।
- (ग) सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठता नियम 5 के उप-नियम (ड) के अनुसार उनमें निहित मामले के अनुसार तय की जाएगी।
- (घ) उक्त प्रावधानों से बाहर मामलों को आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

11. परीक्षा:

- (क) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी की परिवर्षा अवधि एक वर्ष की होगी।
उपबंध है कि नियंत्रण प्राधिकारी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवर्षा अवधि को बढ़ा सकता है।
आगे उपबंध है कि पिछली परिवर्षा अवधि के समाप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर परिवर्षा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा और उक्त अवधि के अंदर संबद्ध अधिकारी को कारण सहित, लिखित में सूचना दी जाएगी।
- (ख) परिवर्षा या उसके विस्तार की अवधि पूरी होने पर यदि आरंभिक ग्रेड में पहले स्थायी नहीं किया गया है तो उपयुक्त पाए जाने पर अधिकारियों को पद पर स्थायी किया जाए।
- (ग) यदि परिवर्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अभिमत में कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार अधिकारी को पदमुक्त कर सकती है या सेवा में नियुक्ति के पहले के पद पर वापिस भेज सकती है, जैसी भी स्थिति हो।
- (घ) परिवर्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान सरकार द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि ये ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अनुदेशों को पूरा करें तथा ऐसी परीक्षा एवं जांच (हिन्दी

में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करें जैसा सरकार परिवीक्षा की संतोषजनक पूर्णता के लिए शर्त के रूप में आवश्यक समझे।

- (ड) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश लागू होंगे।

12. सेवा के लिए नियुक्ति :

सेवा की सभी नियुक्तियां नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

13. सेवा के दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें:

- (क) सेवा में नियुक्त अधिकारी को दिल्ली में कहीं भी कार्य करना पड़ेगा।
- (ख) निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित।
- (ग) सेवा में नियुक्त व्यक्ति को परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।
- (घ) ऐसे व्यक्ति अनुसूची-1 में उल्लिखित दर पर प्रैक्टिसबंदी भत्ते के पात्र होंगे।
- (ङ) इन नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न किए गए मामलों के संबंध में सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें यथावश्यक परिवर्तन सहित होंगी तथा सेवा के बारे में सरकार द्वारा जारी विशेष आदेशों के अधीन होंगी और सामान्यतः केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों पर लागू भर्ती के समान होंगी।
- (च) नियम 6 के उपनियम (1) के प्रारम्भ होने से पूर्व तथा जिन अधिकारियों की नियुक्ति 1-1-2004 से पहले हुई है, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित होंगे।
- (छ) नियम 6 के उपनियम (1) के अन्तर्गत 1-1-2004 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी, नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे।

14. अयोग्यता

कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

- (क) जिसने किसी ऐसे अन्य महिला/पुरुष से विवाह का करार किया है जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी एवं पति है या
- (ख) जिसने जीवित पति अथवा पत्नी के रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो।

उपबंध है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

- 15. शिथिल करने की शक्ति:**—जहां सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

- 16. बचाव:**—“इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 17. व्याख्या :**—यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस स्थिति में सरकार आयोग के परामर्श से इस पर निर्णय लेगी।

- 18. निरसन:**—दिनांक 13.06.2012 की अधिसूचना संख्या फा0 2/206/2022/डीआईएसएमएच/होम्यो/2405 द्वारा अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी (शिक्षण), (होम्योपैथी), सहायक प्रोफेसर, सहबद्ध तथा होम्योपैथी, प्रोफेसर तथा प्रधानाचार्य के पद के भर्ती नियम, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से निरसत समझे जायेंगे।

अनुसूची-I
(नियम 2 एवं 4 देखें)

ग्रेड, वेतनमान एवं प्रैक्टिसबंदी भत्ता इत्यादि दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) में शामिल समूह "क" के पद

I. ग्रेड एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर

क्र. सं.	ग्रेड	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर
(1)	(2)	(3)
1	प्रधानाचार्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (रूपये 144200 –218200 /—)
2.	प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रूपये 123100 –215900 /—)
3.	प्रोफेसर (होम्योपैथिक विषय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रूपये 123100 –215900 /—)
4.	सह-प्रोफेसर/रीडर (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रूपये 78800 –209200 /—)
5.	सह –प्रोफेसर/रीडर (गैर —कार्यात्मक चयन ग्रेड (होम्योपैथिक विषय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रूपये 78800 –209200 /—)
6.	सह –प्रोफेसर/रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रूपये 67700 –208700 /—)
7.	सह –प्रोफेसर/रीडर (होम्योपैथिक विषय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रूपये 67700 –208700 /—)
8.	सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रूपये 56100 –177500 /—)
9.	सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (होम्योपैथिक विषय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रूपये 56100 –177500 /—)

II. प्रैक्टिस बंदी भत्ता

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा समर्थित आदेशों के अनुसार ग्राह्य।

III. वार्षिक भत्ता

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा समर्थित यात्रा भत्ता एवं अकादमिक भत्ता ग्राह्य।

अनुसूची-II
(नियम 2,5,6 एवं 8 देखें)

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) की अधिकृत संख्या

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	
		एनएचएमसी	एसएचएमसी
1.	प्रधानाचार्य	1	1
2.	प्रोफेसर (होम्योपैथिक विषय)		
2.1	आर्गेनन ऑफ मेडिसिन	3	1
2.2	होम्योपैथिक मेटिरिया मेडिका	3	2
2.3	रेपरटरी	2	1
2.4	होम्योपैथिक फार्मसी	2	1

3.	प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)		
3.1	एनॉटमी	1	1
3.2	फिजियोलॉजी बायोमैमिस्ट्री सहित	1	1
3.3	सर्जरी	1	1
3.4	पैथॉलोजी एवं माइक्रोबायोलोजी	1	1
3.5	फारेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलोजी	1	1
3.6	कम्यूनिटी मेडिसिन	1	1
3.7	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	1	1
3.8	आब्स्टैट्रिक्स एवं गाइनीकॉलोजी	1	1
4.	सहायक प्रोफेसर/रीडर (होम्योपैथिक विषय)		
4.1	आर्गेनन ऑफ मेडिसिन	4	2
4.2	होम्योपैथिक मेटिरिया मेडिका	5	3
4.3	रेपरटरी	4	1
4.4	होम्योपैथिक फार्मसी	3	1
5.	सहायक प्रोफेसर/रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)		
5.1	एनॉटमी	4	1
5.2	फिजियोलॉजी बायोमैमिस्ट्री सहित	3	1
5.3	सर्जरी	2	1
5.4	पैथॉलोजी एवं माइक्रोबायोलोजी	2	1
5.5	फारेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलोजी	2	1
5.6	कम्यूनिटी मेडिसिन	2	1
5.7	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	4	2
5.8	आब्स्टैट्रिक्स एवं गाइनीकॉलोजी	3	1
6.	सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (होम्योपैथिक विषय)		
6.1	होम्योपैथिक मेटिरिया मेडिका	4	2
6.2	आर्गेनन ऑफ मेडिसिन	3	2
6.3	रेपरटरी	1	1
6.4	होम्योपैथिक फार्मसी	2	1
7.	सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)		
7.1	एनॉटमी	1	1
7.2	फिजियोलॉजी बायोमैमिस्ट्री सहित	2	1
7.3	सर्जरी	2	1
7.4	पैथॉलोजी एवं माइक्रोबायोलोजी	1	1
7.5	फारेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलोजी	1	1
7.6	कम्यूनिटी मेडिसिन	2	1
7.7	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	4	2
7.8	आब्स्टैट्रिक्स एवं गाइनीकॉलोजी	2	1
	कुल पद	82	45

अनुसूची-III**(नियम 8 देखें)**

अधिकारियों की भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिए चयन क्षेत्र उससे नीचे के ग्रेड में न्यूनतम अर्हता सेवा अथवा दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) में समूह "क" कार्य पदों पर पदोन्नति

क्र. सं.	नाम	भर्ती पद्धति	चयन का क्षेत्र तथा पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा
1	प्रधानाचार्य	चयन द्वारा पदोन्नति	नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 03 (तीन)

			वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (144200 -218200 / -रूपये) में प्रोफेसर।
2	प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय) / (होम्योपैथिक विषय)	रिक्तियों से अलग 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	ग्रेड में छः (06) वर्षों की नियमित सेवा सहित सहायक प्रोफेसर/रीडर (गै0का0च0ग्रे0) अथवा सहायक प्रोफेसर /रीडर (गै0का0च0ग्रे0) के ग्रेड में (02) दो वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा सहित सह प्रोफेसर/रीडर (गै0का0च0ग्रे0) तथा सह प्रोफेसर/रीडर के ग्रेड में 08 (आठ) वर्ष की संयुक्त सेवा के पूर्ण होने पर।
3	सह प्रोफेसर/रीडर (गै0का0च0ग्रे0) (सहबद्ध चिकित्सा विषय) / (होम्योपैथिक विषय)	रिक्तियों से अलग 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	ग्रेड में 02 (दो) वर्ष की नियमित सेवा सहित सह प्रोफेसर/रीडर।
4	सह प्रोफेसर /रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय) / (होम्योपैथिक विषय)	रिक्तियों से अलग 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	ग्रेड में (06) छः वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर।
5.	सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय) / (होम्योपैथिक विषय)	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा	शैक्षणिक योग्यता ,अनुभव एवं आयु सीमा हेतु अनुसूची-V देखें।

अनुसूची-IV

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (शिक्षण संवर्ग होम्योपैथी) में पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिती।

प्रधानाचार्य

1. अध्यक्ष / सदस्य , संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0 दिल्ली सरकार सदस्य
3. विभाग में संबंधित सचिव सदस्य
4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह रा0रा0क्षे0दि0स0 में पदेन सचिव न हो। सदस्य

प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं होम्योपैथिक विषय)/सह प्रोफेसर/रीडर गै0का0च0ग्रे0 (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं होम्योपैथिक विषय)/सहायक प्रोफेसर/रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय एवं होम्योपैथिक विषय)

1. मुख्य सचिव,रा0रा0क्षे0 दिल्ली सरकार अध्यक्ष
2. विभाग में संबंधित सचिव सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह रा0रा0क्षे0दि0स0 दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो। सदस्य

समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण के लिये)

1. मुख्य सचिव,रा0रा0क्षे0 दिल्ली सरकार अध्यक्ष

2. विभाग में संबंधित सचिव

सदस्य

3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह रा0रा0क्षे0दि0स0

दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो।

सदस्य

अनुसूची-V**(नियम 8 एवं अनुसूची-III देखें)**

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग में सहबद्ध चिकित्सा विषय/होम्योपैथी विषय में सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर के पद की सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य योग्यता, अनुभव और आयु सीमा।

क्र. सं.	पदनाम	आयु	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1.	सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	40 वर्ष से अधिक नहीं टीप-1: (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप-2: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी।	अनिवार्य योग्यता : होम्योपैथी में स्नातकोत्तर योग्यता। योग्यता केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद अधिनियम 1973 के द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट हो। वांछनीय योग्यता : केंद्रीय परिषद/केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में आरएमओ और/या सीनियर रेजिडेंट और/या हाउस फिजिशियन के रूप में कार्य करने का अनुभव। या अनिवार्य योग्यता : भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि। वांछनीय योग्यता : केंद्रीय परिषद/केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से जुड़े होम्योपैथिक अस्पताल में आरएमओ और/या सीनियर रेजिडेंट और/या हाउस फिजिशियन के रूप में काम करने का अनुभव।
2.	सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर (होम्योपैथिक विषय)	40 वर्ष से अधिक न हो। टीप-1: (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप-2: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी।	अनिवार्य योग्यता: होम्योपैथी में स्नातकोत्तर योग्यता। संबंधित विषय में प्राथमिकता। योग्यता केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद अधिनियम 1973 के द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट हो। वांछनीय योग्यता: केंद्रीय परिषद/केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध होम्योपैथिक अस्पताल में आरएमओ और/या सीनियर रेजिडेंट और/या हाउस फिजिशियन के रूप में कार्य करने का अनुभव।

टीप: मान्यताप्राप्त होम्योपैथिक महाविद्यालयों में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (होम्योपैथिक महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध अस्पतालों की न्यूनतम मानक आवश्यकता) विनियम, 2013 की अधिसूचना से पूर्व विभिन्न संवर्गों में नियुक्त शिक्षकों को उन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा जिनके अन्तर्गत उनकी नियुक्ति की गई थी।

अनुसूची-VI

(नियम 9 देखें)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिये योग्यता मापदंड

क्र० सं०	पद	योग्यता मापदंड
1	सह प्रोफेसर / रीडर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/स्वायत्त संगठन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारी:- क. (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500/-रूपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; तथा ख निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले: अनिवार्य योग्यता:- (i) डिग्री स्तरीय होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर /लेक्चरर के रूप में चार वर्ष के अध्यापन का अनुभव सहित होम्योपैथी में स्नातकोत्तर योग्यता। वांछनीय योग्यता : (i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक या गार्ड/को-गार्ड के रूप में अनुभव। (ii) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में शोध कार्य का अनुभव। अथवा अनिवार्य योग्यता : (i) डिग्री स्तरीय चिकित्सा संस्थान/होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर के रूप में चार वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि। वांछनीय योग्यता : (i) शोध पत्रों का प्रकाशन (ii) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में शोध कार्य का अनुभव।
2	सह प्रोफेसर/रीडर (होम्योपैथिक विषय)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /सांविधिक निकाय/स्वायत्त संगठन /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारी:- क. (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500/-रूपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; तथा ख निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले: अनिवार्य योग्यता:- (i) डिग्री स्तरीय होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर /लेक्चरर के रूप में चार वर्ष के अध्यापन का अनुभव सहित होम्योपैथी में स्नातकोत्तर योग्यता। योग्यता केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद अधिनियम 1973 के द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट हो वांछनीय योग्यता : (i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक या

		गार्ड/को-गार्ड के रूप में अनुभव। (ii) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में शोध कार्य का अनुभव।
3	प्रोफेसर (सहबद्ध चिकित्सा विषय)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/स्वायत्त संगठन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारी:- क. (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200/-रूपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/-रूपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दस वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; तथा ख निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले: अनिवार्य योग्यता:- (i) डिग्री स्तरीय होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर/रीडर के रूप में तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित होम्योपैथी में स्नातकोत्तर योग्यता। योग्यता केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद अधिनियम 1973 के द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट हो। वांछनीय योग्यता : (i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक/गार्ड के रूप में अनुभव अथवा शोध में मौलिक प्रकाशन। (ii) होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल में प्राशसनिक अनुभव। अथवा अनिवार्य योग्यता : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि। (ii) डिग्री स्तरीय होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा/या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में सह प्रोफेसर/रीडर के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। वांछनीय योग्यता: (i) शोध पत्रों का प्रकाशन (ii) संबंधित विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में शोध कार्य का अनुभव।
4.	प्रोफेसर (होम्योपैथी विषय)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/स्वायत्त संगठन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारी:- क. (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200/-रूपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/-रूपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दस वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष; तथा ख निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले: अनिवार्य योग्यता:- (i) डिग्री स्तरीय होम्योपैथिक महाविद्यालय में प्रोफेसर/रीडर के रूप में संबंधित विषय में तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित होम्योपैथी में स्नातकोत्तर योग्यता। योग्यता केन्द्रीय

	होम्योपैथिक परिषद अधिनियम 1973 के द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट हो। वांछनीय योग्यता : (i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक/गार्ड के रूप में अनुभव तथा शोध में मौलिक प्रकाशन। (ii) होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल में प्राशसनिक अनुभव। (iii) संबंधित विश्वविद्यालय तथा/या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में शोध कार्य का अनुभव।
--	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. मीना, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd February, 2023

F. No. 18(6)/2013/DISMH/Homoeo/RR/1383.—In exercise of the powers conferred under article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S), dated 24th September, 1968 and in supersession of this Government's Notification no. 2/206/2002/DISMH/Homoeo/2405 dated 13th June, 2012 respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regarding the method of recruitment to Delhi Health Services (Teaching Cadre of Homoeopathy) under Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and Commencement:

- (1) These rules may be called the Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (b) "Controlling Authority" means the Pr. Secretary /Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (c) "Departmental Promotion Committee" means a Group "A" Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in respect of Group "A" posts of the Service;
- (d) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II;
- (e) "Government" means the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239 AA of the Constitution of India;
- (f) "Grade" means any of the grades specified in Schedule-I;
- (g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (h) "Service" means the Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy);
- (i) "Allied Medical Subject" means the subject of Anatomy, Physiology including Biochemistry, Pathology and Microbiology, Forensic Medicine and Toxicology, Practice of Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynecology and Community Medicine.
- (j) "Homoeopathic Subjects" means the subject of Organon of Medicine, Homoeopathic Pharmacy, Homoeopathic MateriaMedica and Repertory.

3. Constitution of Service:

- (1) There stands constituted a Service known as Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy) (Group 'A') consisting of persons appointed under rules 7 and 8 of these Rules.
- (2) All the posts included in the Service shall be Group 'A' posts.

4. Composition of the Service

All duty posts, included in the Service shall be classified as Central Civil Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial and the grades, Level of pay in the Pay Matrix, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

5. Authorized Strength of the Service

- (a) The authorized strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-II.
- (b) After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may vary from time to time, to be determined by the Government.
- (c) The Government may make temporary addition to or reduction in, the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.
- (d) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.
- (e) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (d), to the appropriate grade of the Service, in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.
- (f) Upto 10% of the total number of posts in each sub cadre (excluding Senior Administrative Grade posts) shall be included in the service as training/ leave/ deputation reserve.

6. Members of the Service

- (1) The following persons shall be members of the Service, namely:
 - (a) Persons appointed under sub-rule (e) of rule 5.
 - (b) Persons appointed to duty posts under rule 7.
 - (c) Persons appointed to duty posts under rule 8, and
- (2) A person, appointed under clause (b) of the Sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.
- (3) A person appointed under clause (c) of sub-rule (1) shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-II from the date of such appointment.

7. Initial Constitution of the Service

- (1) All the officers appointed under the Delhi Health Service of the Teaching Cadre of Homoeopathy on or before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the service in the respective grades.
- (2) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purpose of promotion, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

8. Future Maintenance of the Service:

- (1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.
- (2) The entry in the teaching cadre shall be at the level of Assistant Professor/Lecturer (Homoeopathic Subjects) and Assistant Professor/ Lecturer (Allied Medical Subjects) in Level 10 (Rs.56100 – 177500/-) in the pay matrix. The method of recruitment, the field of selection for promotion including the minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment or promotion to the posts in the higher grade shall be as specified in Schedule-III.
- (3) (a) The Departmental Promotions shall be confined to officers of the cadres.
 - (b) The departmental promotions to the higher posts shall be made on selection basis from amongst the officers of the Service in the immediate lower grade on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.
- (4) If any officer appointed to any grade in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility

service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.

- (5) (a) Promotion to the post of Principal shall be made on selection basis in consultation with the Commission, on the basis of the recommendations made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.
- (b) The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment to the post of Assistant Professor/Lecturer (Allied Medical Subjects and Homoeopathy Subjects) in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.

NOTE: Vacancies caused by the incumbents to the post of Assistant Professor/Lecturer (Allied Medical Subjects and Homoeopathy Subjects) being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central / State Government /Union Territories/Statutory or Autonomous Organizations/ PSUs/ Recognized Universities/Research Institutions holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in Schedule V.

9. Filling of Teaching Posts by Deputation (including short term contract[ISTC]):

- (1) Notwithstanding anything contained in rule 8, where the posts of Professor (Allied Medical Subjects and Homeopathy Subjects) and Associate Professor/ Reader (Allied Medical Subjects and Homeopathy Subjects) are not filled by promotion and the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so in view of the exigency, it may, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, fill the required number of posts at the level of Professor (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) and Associate Professor/Reader (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects) by deputation (Including Short- Term Contract) from suitable officers holding analogous posts on regular basis under the Central Government/ State Government/Union Territories/Statutory or Autonomous Organizations/ PSUs/Recognized Universities/ Recognized Research Institutions.
- (2) The period of deputation (Including Short- Term Contract) shall ordinarily not exceed three years, which may, in special circumstances, be extended up to five years, as the Government may think fit.
- (3) For appointment to duty posts on Deputation (Including Short- Term Contract) basis, the officer shall, among others, fulfill the minimum educational and other qualifications prescribed for the posts in Schedule – VI to these rules.

10. Seniority:

- (a) The relative seniority of members of the service appointed to a grade in the respective sub-cadres, as the case may be, at the time of initial constitution of the service under rule 6(1), shall be as obtaining on the date of commencement of these rules.

Provided that if the seniority of any such members had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules or in consultation with the Commission as the case may be.

- (b) The seniority of officers recruited to the Service other than those appointed under rule 6(1) shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Central Government in the matter from time to time.
- (c) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with sub-rule (e) of rule 5 shall be fixed in the manner provided therein.
- (d) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

11. Probation:

- (a) Every officer appointed to the service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year.

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government of India from time to time.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with reasons for so doing within the said period.

- (b) On completion of the probation or any extension thereof, the officers, if considered fit, shall be confirmed against the post, if not already confirmed in the entry grade.
- (c) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government of NCT of Delhi is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.
- (d) During the period of probation or any extension thereof candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.
- (e) As regards other matters relating to probation, the members of the service will be governed by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

12. Appointment to the Service:

All appointments to the service shall be made by the Controlling Authority.

13. Liability for service and other conditions of service:

- (a) Officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in Delhi.
- (b) Private practice is prohibited.
- (c) Persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.
- (d) Such persons shall be entitled to a Non-practicing allowance at the rates specified in Schedule-I.
- (e) The conditions of service of the members in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.
- (f) Officers appointed under Sub-rule (1) of rule 6, prior to 1.1.2004, before the commencement of these Rules, shall be governed by the CCS (Pension) Rules, 1972.
- (g) Officers appointed under sub-rule (1) of rule 6, after 1.1.2004, shall be governed by the New Pensions Scheme.

14. Disqualification:

No person shall be eligible for appointment to the Service-

- (a) Who has entered into a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are no other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of this rule.

15. Power to relax:

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

17. Interpretation:

If any question relating to the interpretation of these rules arises, the Government in consultation with the Commission shall decide it.

18. Repeal:

The recruitment rules for the post of Medical Officer (Teaching), (Homoeopathy), Assistant Professor, Allied and Homoeopathy, Professor, and Principal, notified by notification No. F. 2/206/2002/DISMH/Homeo/2405 dated 13/6/2012 shall stand repealed with the notification of these rules.

SCHEDULE-I

[See Rules 2 & 4]

Grade, Scales of Pay and Non-practicing Allowances, etc. Group "A" posts included in the Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy)

I. Grade and Level of Pay in the pay matrix

Sl. No.	Grade	Level of pay in the pay matrix
(1)	(2)	(3)
1.	Principal	Level 14 (Rs. 144200 – 218200/-) in the pay matrix
2.	Professor (Allied Medical Subjects)	Level 13 (Rs. 123100 – 215900/-) in the pay matrix
3.	Professor (Homoeopathic Subjects)	Level 13 (Rs. 123100 – 215900/-) in the pay matrix
4.	Associate Professor / Reader NFSG (Allied Medical Subjects)	Level 12 (Rs. 78800 – 209200/-) in the pay matrix
5.	Associate Professor / Reader NFSG (Homoeopathic Subjects)	Level 12 (Rs. 78800 – 209200/-) in the pay matrix
6.	Associate Professor / Reader (Allied Medical Subjects)	Level 11 (Rs. 67700 – 208700/-) in the pay matrix
7.	Associate Professor / Reader (Homoeopathic Subjects)	Level 11 (Rs. 67700 – 208700/-) in the pay matrix
8.	Assistant Professor / Lecturer (Allied Medical Subjects)	Level 10 (Rs. 56100 – 177500/-) in the pay matrix
9.	Assistant Professor / Lecturer (Homoeopathic Subjects)	Level 10 (Rs. 56100 – 177500/-) in the pay matrix

II. Non-Practicing Allowance:

Admissible as per orders issued from time to time by the Central Government endorsed by Government of NCT of Delhi.

III. Annual Allowances:

Conveyance allowance / Academic allowance admissible as per orders issued from time to time by the Central Government endorsed by Government of NCT of Delhi in this regard.

Schedule – II

[See Rules 2, 5, 6 & 8]

Authorized Strength of Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy)

Sl. No.	Designation	No. of Posts	
(1)	(2)	(3)	
		NHMC	SHMC
1.	Principal	1	1
2.	Professor (Homoeopathic Subjects)		
2.1	Organon of Medicine	3	1
2.2	Homoeopathic Materia Medica	3	2
2.3	Repertory	2	1
2.4	Homoeopathic Pharmacy	2	1
3.	Professor (Allied Medical Subjects)		
3.1	Anatomy	1	1
3.2	Physiology including Biochemistry	1	1
3.3	Surgery	1	1
3.4	Pathology & Microbiology	1	1
3.5	Forensic Medicine and Toxicology	1	1
3.6	Community Medicine	1	1
3.7	Practice of Medicine	1	1
3.8	Obstetrics and Gynecology	1	1

4.	Associate Professor / Reader (Homoeopathic Subjects)		
4.1	Organon of Medicine	4	2
4.2	Homoeopathic MateriaMedica	5	3
4.3	Repertory	4	1
4.4	Homoeopathic Pharmacy	3	1
5.	Associate Professor / Reader (Allied Medical Subjects)		
5.1	Anatomy	4	1
5.2	Physiology including Biochemistry	3	1
5.3	Surgery	2	1
5.4	Pathology & Microbiology	2	1
5.5	Forensic Medicine and Toxicology	2	1
5.6	Community Medicine	2	1
5.7	Practice of Medicine	4	2
5.8	Obstetrics and Gynecology	3	1
6.	Assistant Professor / Lecturer (Homoeopathic Subjects)		
6.1	Homoeopathic MateriaMedica	4	2
6.2	Organon of Medicine	3	2
6.3	Repertory	1	1
6.4	Homoeopathic Pharmacy	2	1
7.	Assistant Professor / Lecturer (Allied Medical Subjects)		
7.1	Anatomy	1	1
7.2	Physiology including Biochemistry	2	1
7.3	Surgery	2	1
7.4	Pathology & Microbiology	1	1
7.5	Forensic Medicine and Toxicology	1	1
7.6	Community Medicine	2	1
7.7	Practice of Medicine	4	2
7.8	Obstetrics and Gynecology	2	1
	Total Posts	82	45

Schedule – III

[See Rule 8]

The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade for promotion of officers to Group “A” duty posts in the Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy)

Sl. No.	Name	Method of Recruitment	Field of Selection and the minimum qualifying service for promotion.
1	Principal	Promotion by selection	Professors in level 14 (Rs.144200-218200/-) in the pay matrix with 03 (three) years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.
2	Professor (Allied Medical Subjects/Homoeopathic subjects)	100% by promotion without linkage to vacancies failing which by deputation (ISTC).	Associate Professor/Reader (NFSG) with six (06) years of regular service in the Grade or on completion of (08) eight years of combined regular service in the grade of Associate Professor/Reader (NFSG) and Associate Professor / Reader with minimum (02) two years of regular service in the grade of Associate Professor/Reader (NFSG).
3	Associate Professor/Reader (NFSG) (Allied Medical Subjects / Homoeopathic subjects)	100% by promotion and without linkage to vacancies.	Associate Professor / Reader with (02) two years of regular service in the grade.
4	Associate Professor / Reader (Allied Medical Subjects / Homoeopathic subjects)	100% by promotion without linkage to vacancies failing which by deputation (ISTC).	Assistant Professor / Lecturer with (06) six years of regular service in the grade
5.	Assistant Professor/ Lecturer (Allied Medical subjects/ Homoeopathic subjects)	By direct recruitment in consultation with the Union Public Service Commission.	See Schedule V for educational qualifications, experience, and age limits, etc.

SCHEDULE – IV**[See Rules 2 & 8]****Group ‘A’ Departmental Promotion Committees for considering the cases of promotion in Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homeopathy).****Principal**

- | | | | |
|----|--|---|----------|
| 1. | Chairman / Member, UPSC | - | Chairman |
| 2. | Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi | - | Member |
| 3. | Secretary concerned in the Department | - | Member |
| 4. | HOD concerned unless he/she is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi | - | Member |

Professor (Allied Medical Subjects and Homoeopathic Subjects)/ Associate Professor / Reader NFSG (Allied Medical Subjects and Homoeopathic subjects)/ Assistant Professor / Reader (Allied Medical Subjects and Homoeopathic subjects)

- | | | | |
|----|--|---|----------|
| 1. | Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi | - | Chairman |
| 2. | Secretary concerned in the Department | - | Member |
| 3. | HOD concerned unless he/she is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi | - | Member |

Group “A” Departmental Promotion Committee [DPC] (for confirmation)

- | | | | |
|----|--|---|----------|
| 1. | Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi | - | Chairman |
| 2. | Secretary concerned in the Department | - | Member |
| 3. | HOD concerned unless he/she is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi | - | Member |

SCHEDULE – V**[See Rule 8 & Schedule III]****Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to the post of Assistant Professor/Lecturer in Allied Medical Subjects / Homeopathic Subjects in the Delhi Health Service of Teaching Cadre of Homoeopathy**

Sl. No.	Name of the Post	Age	Educational and Other Qualifications Required
1	Assistant Professor/ Lecturer (Allied Medical subjects)	Not exceeding 40 years. Note 1: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by UPSC.	Essential qualifications: Post Graduate qualification in Homoeopathy. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. Desirable qualifications: Experience of working as R.M.O. and/or Senior Resident and/or House Physician in a Homoeopathic Hospital attached to a Homoeopathic Medical College permitted by Central Council/Central Government. OR Essential qualifications: Post Graduate Medical Degree in concerned subject recognized by the Medical Council of India. Desirable qualifications: Experience of working as R.M.O. and/or Senior Resident and/or House Physician in a Hospital attached to a Medical College permitted by Medical Council/Central Government.

2	Assistant Professor/ Lecturer (Homoeopathic subjects)	Not exceeding 40 years. Note 1: Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by UPSC.	Essential qualification: Post Graduate qualification in Homoeopathy preferably in the concerned subject. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. Desirable qualifications: Experience of working as R.M.O. and/or House Physician in a Homoeopathic Hospital attached to a Homoeopathic Medical College permitted by Central Council / Central Government.
---	---	--	--

Note: The teachers appointed in various cadres previous to notification of Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013 in recognized Homoeopathic Colleges shall be promoted as per the provisions of regulations under which they were appointed.

SCHEDULE-VI

[See Rule 9]

Eligibility criteria for Deputation (including Short-Term Contract)

Sl. No.	Post	Eligibility Criteria
1	Associate Professor/ Reader (Allied Medical Subjects)	Officers under Central Govt./State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Recognized Universities/Recognized Research Institutions: a) (i) holding analogous posts on regular basis; OR (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; AND (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential Qualification: (i) Post Graduate qualification in Homoeopathy with four years of teaching experience as Assistant Professor/Lecturer in the concerned subject in a Homoeopathic College of Degree level. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. Desirable Qualifications: (i) Experience as a Supervisor/Co-Supervisor or Guide/Co-Guide for Post Graduate Course in Homoeopathy. (ii) Research experience in a research institution recognized by the concerned University or State Government or Central Government. OR Essential Qualification: (i) Post Graduate Medical Degree in concerned subject recognized by the Medical Council of India with four years of teaching experience as Assistant Professor/Lecturer in the subject concerned in a Degreelevel Medical Institution/Homoeopathic College. Desirable Qualifications: (i) Research papers publications. (ii) Research experience in a research institution recognized by the concerned University/State Government/Central Government.
2	Associate Professor/ Reader (Homoeopathic Subjects)	Officers under Central Govt./State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Recognized Universities/Recognized Research Institutions:

		a) (i) holding analogous posts on regular basis; OR (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; AND (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential Qualification: (i) Post Graduate qualification in Homoeopathy with four years of teaching experience as Assistant Professor/Lecturer in the concerned subject in a Homoeopathic College of Degree level. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. Desirable Qualifications: (i) Experience as a Supervisor/Co-Supervisor or Guide/Co-Guide for Post Graduate Course in Homoeopathy. (ii) Research experience in a research institution recognized by the concerned University or State Government or Central Government.
3	Professor (Allied Medical Subjects)	Officers under Central Govt./State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Recognized Universities/Recognized Research Institutions: a) (i) holding analogous posts on regular basis; OR (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-12 (Rs.78800 - 209200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; OR (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-11 (Rs.67700 - 208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; AND (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential Qualification: (i) Post Graduate qualification in Homoeopathy with three years of teaching experience as Associate Professor/Reader in the concerned subject in a Homoeopathy college of Degree level. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. Desirable Qualifications: (i) Experience as Supervisor/Guide for Post Graduate programme in Homoeopathy or original publication in research. (ii) Administrative experience in a Homoeopathic Medical College/Hospital. OR Essential Qualification: (i) Post Graduate Medical Degree in the concerned subject recognized by the Medical Council of India. (ii) Three years teaching experience as Associate Professor/Reader in the subject concerned in a degree level Homoeopathic College and/or in a Medical College permitted by the Central Government. Desirable Qualifications: (i) Research papers publication. (ii) Research experience in a research institution recognized by the concerned University or State Government or Central Government.
4	Professor(Homoeopathic Subjects)	Officers under Central Govt./State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/ Autonomous Organizations/Recognized Universities/Recognized Research Institutions: a) (i) holding analogous posts on regular basis; OR

		(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-12 (Rs.78800 - 209200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; OR (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-11 (Rs.67700 - 208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; AND (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential Qualification: (i) Post Graduate qualification in Homoeopathy with three years of teaching experience in the subject concerned as Associate Professor/Reader in a Homoeopathic College of Degree level. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. Desirable Qualifications: (i) Experience as Supervisor/Guide for Post Graduate programme in Homoeopathy and original publication in research. (ii) Administrative experience in a Homoeopathic Medical College/Hospital. (iii) Research experience in a Research Institution recognized by the concerned University and/or State Government or Central Government.
--	--	---

By Order and in the Name of Lt. Governor of Delhi,

R.K. MEENA, Dy. Secy.